भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2165
31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दुर्लभ रोगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र

2165. श्री तनुज पुनियाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में दुर्लभ रोगों के उपचार और अनुसंधान के लिए वर्तमान में 'उत्कृष्टता केंद्रों' (सीओई) के रूप में नामनिर्दिष्ट चिकित्सा संस्थानों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत पात्र रोगियों के उपचार के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान इन उत्कृष्टता केंद्रों को आवंटित और जारी की गई कुल बजटीय निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ऐसे केंद्रों की सीमित संख्या के कारण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और कई पिछड़े राज्यों के रोगियों को उपचार के लिए एम्स दिल्ली या अन्य महानगरों की लंबी यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश भर के सभी एम्स संस्थानों को इस 'उत्कृष्टता केंद्र' नेटवर्क में एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा तैयार किया गया रोडमैप क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (एनपीआरडी), 2021 के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या, नीति के प्रारंभ से 08 से बढ़कर अब 16 हो गई है। उत्कृष्टता केंद्रों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021 के अंतर्गत विगत दो वर्षों के दौरान लगभग ₹177.14 करोड़ की कुल बजटीय निधि जारी की गई है।

(ग) और (घ) सरकार, तकनीकी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर तथा आवश्यक अवसंरचना एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, दुर्लभ रोगों के उपचार तक भौगोलिक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से समय-समय पर नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करती है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दुर्लभ रोगों के उपचार की उपलब्धता एवं पहुंच को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल (मणिपुर) तथा असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डिब्रूगढ़ (असम) में भी दो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

अनुलग्नक

राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021 के अंतर्गत दुर्लभ रोगों हेतु उत्कृष्टता केंद्रों की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली	दिल्ली
2.	मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली	दिल्ली
3.	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
4.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़	चंडीगढ़
5.	निज़ाम्स आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद के साथ से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक्स केंद्र	तेलंगाना
6.	किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल, मुंबई	महाराष्ट्र
7.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नागपुर	महाराष्ट्र
8.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
9.	इंदिरा गांधी अस्पताल, बेंगलुरु के साथ से मानव आनुवंशिकी केंद्र	कर्नाटक
10.	बाल स्वास्थ्य संस्थान एवं बाल चिकित्सालय (आईसीएच एंड सीएच), चेन्नई	तमिलनाडु
11.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर	राजस्थान
12.	श्री अविट्टम तिरुनाल अस्पताल (एसएटी), सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम	केरल
13.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल	मध्य प्रदेश
14.	क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस), इम्फाल	मणिपुर
15.	असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, डिब्रूगढ़	असम
16.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना	बिहार
